राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक/प.8(ठेका श्रम)/आई.आर./2011/21842–875 जयपुर, दिनांक: 24.9.2011

प्रेषितः

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त/
उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त,
श्रम कल्याण अधिकारी,
.....(समस्त)

विषयः–मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना।

–0–

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर,2011 से "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" प्रारम्भ की जा रही है जिसके अंतर्गत सभी राजकीय स्वास्थ्य व चिकित्सा केन्द्रों पर निःशुल्क दवाईयां आदि उपलब्ध कराई जावेंगी। उक्त योजना के अंतर्गत चिकित्सा व स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा वितरण केन्द्र (DDC) स्थापित किए गये हैं तथा दवा वितरण केन्द्रों पर सहकारी सॅस्थाओं के माध्यम से प्लेसमेन्ट एजेन्सी/एनजीओ के द्वारा संविदा पर फार्मासिस्ट की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि ठेका श्रम (विनियमन व प्रतिषेध) अधिनियम,1970 तथा तदन्तर्गत बनाये गये राज्य नियम,1971 के प्रावधान ठेका श्रमिकों के नियोजन के संबंध में प्रभावी हैं, जिनकी अनुपालना ठेकेदार व मुख्य नियोजक, दोनों के द्वारा किया जाना आवश्यक है।

3. 1970 के अधिनियम के प्रावधान उन प्रतिष्ठानों (establishments) पर लागू होते हैं जिनके द्वारा किसी भी एक दिन 20 या अधिक ठेका श्रमिक नियोजित किए जाते हों तथा इसी प्रकार ऐसे ठेकेदारों पर भी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं जो किसी भी एक दिन 20 या अधिक श्रमिक नियोजित करते हों।

4. जिन प्रतिष्ठानों पर अधिनियम प्रभावी है, उनके नियोजक द्वारा अधिनियम की धारा–7 तथा राज्य नियम–17 के अंतर्गत संबंधित पंजीयन अधिकारी (श्रम विभाग के जिला कार्यालय के अधिकारी) को आवेदन कर प्रतिष्ठान का पंजीयन कराना आवश्यक है तथा ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को अधिनियम की धारा–12 व राज्य नियम–21 के अंतर्गत संबंधित अनुज्ञप्ति अधिकारी (श्रम विभाग के जिला कार्यालय के अधिकारी) को आवेदन कर अनुज्ञप्ति (license) प्राप्त करना आवश्यक है।

5. ऐसे प्रत्येक नियोजक के लिए यह आवश्यक है कि वह नियम–17 में विहित प्रक्रिया व प्रावधानानुसार प्ररूप–1 में पंजीयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करे और निर्धारित शुल्क राशि व अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर पंजीयन प्राप्त करे। साथ ही, ऐसे प्रत्येक ठेकेदार के लिये यह आवश्यक है कि वह नियम–21 में विहित प्रक्रिया व प्रावधानानुसार प्ररूप–IV में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करे तथा निर्धारित शुल्क राशि व दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुज्ञप्ति प्राप्त करे। **उल्लेखनीय है कि ठेकेदार के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अन्य सूचना/विवरण के अतिरिक्त प्ररूप–V में मुख्य नियोजक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना व आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।**

6. "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 8849/2011 अशोक गोदारा बनाम

कार्यालय प्रमुख शासन चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. शासन सचिवालय, जयपुर
29 SEP 2011
डायरी क्रमांक 9567

गोदारा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 21.9.2011 को यह आदेश भी प्रदान किए गए हैं कि–

"the respondents shall not avail services of any placement agency/NGO to provide Pharmacist to work with the DDCs/the shops run under the cooperative sector, if such placement agency/NGO is not having contractors' license as per the provisions of the Contract Labour(Regulation & Abolition) Act, 1970"

7. ठेका श्रम (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम,1970 के प्रावधानानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की अनुपालना में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" की व्यवस्थानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों व ठेकेदारों द्वारा क्रमशः पंजीयन व अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
8. अतः ठेका श्रम (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम,1970 के अंतर्गत नियुक्त समस्त पंजीयन व अनुज्ञप्ति अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विषय में मुख्य नियोजक/ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पंजीयन/अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्रों का नियमानुसार परीक्षण कर उच्च प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। साथ ही, प्रतिदिन प्राप्त होने वाले व निस्तारित किए गये/जाने वाले आवेदन पत्रों का विवरण मुख्यालय को सूचित किया जाए।
9. उक्त आदेश की पालना उच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए।

श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/प.8(ठेका श्रम)/आई.आर./2011/21876–~~879~~ 919 जयपुर, दिनांक: 24.9.2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, नेहरू सहकार भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर।
6. जिला कलक्टर.....(समस्त)

अति0 श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान, जयपुर।